होल्डिंग टैक्स वसूली को आयुक्त ने कसा शिकंजा

पटना | वरीय संवाददाता

भवनों में किए गए अतिरिक्त निर्माण, आवासीय का टैक्स देकर व्यावसायिक उपयोग और नए भवनों को कर के दायरे में लाने के लिए नगर आयुक्त पंकज कुमार पाल का शिकंजा कसता जा रहा है। नगर आयुक्त दिन में दो बार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पदाधिकारियों को होल्डिंग टैक्स वसूली में पिछले वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष का निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य से कम होल्डिंग टैक्स वसूल करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। होल्डिंग का सामान्य पुनरीक्षण और कर के दायरे में लाने के उद्देश्य से ही सभी अंचलों में कार्यपालक और राजस्व पदाधिकारी के साथ एक उप समाहर्ता को प्रतिनियुक्त किया गया है।

प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो अंचलों के राजस्व शाखा में बैठे मठाधीशों पर भी नजर रखी जा रही है। भवनों के कुछ हिस्से को प्रधान मुख्य सड़क और कुछ हिस्से को अन्य सड़क पर दिखाकर कम टैक्स लगाने के खेल पर रोक लगाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। चेक से भुगतान लेकर कागज पर वसूली दिखाने और बाद में चेक बाउंस करने के नाम पर उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाने के गोरखधंधे की भनक भी नगर आयुक्त को लग चुकी है। इसके निपटने के लिए बाउंस हुए चेक का पूर्ण ब्योरा के साथ रिपोर्ट देने का निर्देश राजस्व पदाधिकारियों को दिया गया है। सभी होल्डिंग का कम्प्यूटर में डाटा तैयार किया जा रहा है।